148

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 372–दो/2005 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24–12–2004 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 45/2002–03/अपील

....

1– उमाचरण
2– सन्तोष
3– रामकुमार, पुत्रगण शिवनाथ
निवासीगण– ग्राम गोअरा
तहसील मेहगांव, जिला– भिण्ड (म0प्र0)

.............................आवेदकगण

विरूद्ध

सियाराम पुत्र रामगोविन्द
निवासी– ग्राम गोअरा
तहसील मेहगांव, जिला– भिण्ड (म0प्र0)

.......................अनावेदक

....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण
....

आदेश
(आज दिनांक 19.9.2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/2002–03/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 24–12–2004 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि आवेदकगण द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 168,169,190 एवं 110 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त अमायन के समक्ष विवादित भूमि पर भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त अमायन ने प्रकरण क्रमांक 226/96–97/बी–121

नया प्रकरण क्रमांक 63/96–97/अ–46 में दिनांक 30–08–97 को विवादित भूमि के भूमिस्वामी अनावेदक के स्थान पर आवेदकगण का नाम पर ग्राम गोअरा की विवादित भूमि के समस्त भाग के भूमि स्वामी द्योषित करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव ने अपने प्रकरण क्रमांक 85/2000–01/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 12.04.2002 को अपील अवधि बाह्य होने से खारिज कर दी । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 45/2002–03/अपील पर दर्ज किया जाकर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.12.2004 को आदेश पारित कर अनावेदक की अपील स्वीकार की गई तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि आवेदकगण का नाम उक्त विवादित भूमि से निरस्त कर पूर्व की भांती अनावेदक का नाम स्थापित किया जावे । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में विवादित कृषि खाते के पूर्व में भूमिस्वामी आवेदकगण, केदानाथ तथा रामगोविन्द थे । आवेदकगण तथा अन्य भूमिस्वामी के मध्य पूर्व में आपसी बटवारा हो गया था । केदारनाथ तथा रामगोविन्द ने बटवारे के बाद स्वेच्छा से अपनी भूमि आवेदकगण को कृषि कार्य हेतु मौखिक अनुबन्ध कर दे दी थी तथा भूमि से प्राप्त होने वाले लाभ के रूप में धनराशि प्राप्त कर ली थी। तहसील न्यायालय से भूमिस्वामी केदारनाथ तथा रामगोविन्द को सुनवाई हेतु सूचना पत्र भेजे गये, जिन्हें प्राप्त कर दोनों व्यक्ति उपस्थित हुये तथा अपना पक्ष समर्थन किया था । अनावेदक ने पूर्ण बनावटी तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे जो किसी भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है । उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक को प्रथम तथा द्वितीय अपील करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि मूल भूमिस्वामी केदारनाथ तथा रामगोविन्द ने अपने जीवनकाल में तहसील आदेश को कभी चुनौती नहीं दी । दोनों की मृत्यु के पष्चात अनावेदक ने उनकी मृत्यु का लाभ उठाकर समयाबधित अपील प्रस्तुत की थी जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निरस्त की गई थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर ध्यान ही नहीं दिया गया

है । ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुंरैना के द्वारा पाअिरत आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अंवलोकन से यह पाया गया कि आवेदकगण ने नायब तहसीलदार वृत्त अमायन के समक्ष संहिता की धारा 168, 169, 190 एवं 110 के अंतर्गत विवादित भूमि के 1/3 हिस्सा पर भूमि स्वामी स्वत्व घोषित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.97 को आदेश पारित कर आवेदकगण को विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध रामगोविन्द (मृतक) के वारिस सियाराम ने अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव ने अपील युक्ति–युक्त आधार पर सिद्ध न होने व अविध बाह्य मानकर अस्वीकार कर दी । इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जहॉ अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गई और इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी पेश की गई है । मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 169 तथा 190 मौरूषी कृषक होने के आधार भूमि स्वामी अधिकार का दावा–खसरा स्तंभ 12 कब्जा की प्रविष्टि–उपवृति की संविदा साबित नहीं–खसरा स्तंभ 4 में मौरूषी कृषक के विषय में प्रविष्टि नहीं–मौरूषी कृषक के अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते और वह भूमिस्वामी नहीं हो सकता । धारा –169 तथा 190 संयुक्त खाता मौरूषी कृषक होने के आधार पर भूमि स्वामी अधिकार का दावा बिना खाता विलाजन के मौरूषी कृषकत्व साबित नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदक को ग्राम गोअरा में नोटिस का निर्वाहा कराया, जबकि अनावेदक ग्राम लिलोई में निवास करते थे । आवेदकगण के अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि विचारण न्यायालय ने विधिवत अनावेदक को सूचना की और उनके कथन लिये तथा उन्होंने विवादित भूमि पर आवेदकगण को भूमिस्वामी घोषित करने में अपनी सहमति दी है । राजीनामा आदेश के विरूद्ध अपील नहीं हो सकती और न्याय दृष्टांत 1972 राजस्व निर्णय 222 की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया । उन्होंने बतलाया कि जब तक केदारनाथ व रामगोविन्द जीवित थे तब

सियाराम ने कोई कार्यवाही नहीं की और अब दोनों की मृत्यु हो गई उसके पश्चात लगभग 4 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में विलंब से अपील पेश की । अनावेदक ने इस विलंब से अपील पेश करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया और न ही उसको प्रमाणित ही किया है और न ही दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण भी किया है । चूँकि रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार रुपये 100/– से अधिक का बंधक विलेय रजिस्ट्रकृत नहीं–किसी भी प्रयोजन के लिये विचार नहीं किया जा सकता । इसी आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने अपने आदेश से अनुविभागीय अधिकारी, मेंहगांव एवं विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है । मैं अपर आयुक्त के इस आदेश से सहमत हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–12–2004 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर